परिपत्र संख्या–स्था–1 / 2013–2014 / 3161 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना–राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ दिनांकः 21 नवम्बर 2017

समस्त अधिकारी गण
वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0।

परिपत्र संख्या–स्था0–1 / 2013–2014 / 4053 / वाणिज्य कर दिनांक 12.12.2013 (विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27–क के क्रम में यह स्पष्ट किया गया था कि समस्त अधिकारियों से उचित माध्यम से ही प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित है, परन्तु प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकांश अधिकारी अपना प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन लेकर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। यह स्थिति कदाचित उचित नहीं कही जा सकती है और कर्मचारी आचरण नियमावली का स्पष्ट एवं दण्डनीय उल्लंघन है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त परिपत्र में निर्देश दिये गये थे कि डिप्टी कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के अभ्यावेदन ज्वाइण्ट कमिश्नर के माध्यम से तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 से सम्बन्धित अभ्यावेदन जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से ही मुख्यालय प्रेषित किये जायें। अग्रसारित करते समय ज्वाइण्ट कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों / आधारों पर अपना मन्तव्य अवश्य अंकित किया जाये, ताकि गुण–दोष पर निर्णय लिया जा सके।

परन्तु उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अधिकारी अपने नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के पश्चात् ही मुख्यालय / शासन आदि में व्यक्तिगत सम्पर्क किया करें क्योंकि ऐसा नहीं करने से शासन की अपेक्षानुसार शासकीय कार्यों का त्वरित निष्पादन बाधित होता है। व्यक्तिगत सम्पर्क करने से पूर्व सम्बधित वरिष्ठ अधिकारी के कैम्प कार्यालय से मुलाकात हेतु समय निश्चित करना भी सुनिश्चित करे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में इन निर्देशों का उल्लंघन क्षम्य न होगा।

21/11/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि असिस्टेन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट मे प्रदर्शित करने हेतु।

21/11/17
(बबिता तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9064 श्री प्रलय रंजन
DC (I.T.)
22.11.2017